न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

प्रकरण स0/70/18/अपील

नाथूलाल आ0 भंवरलाल जाति लुहार निवासी मोहम्मदपुर तहसील खानपुर

बनाम

परमानन्द आ0 कंवरलाल जाति लुहार निवासी मोहम्मदपुर तहसील खानपुर वगैरह

दिनांक हुक्म	क़ार्यवाही	
27.12.19	पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित, वकील अपीलान्ट द्वारा प्रा0पत्र पेश किया गया जिसमें अनुरोध किया गया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रेस्पो0 नं0 2 ने एक नियमित राजस्व वाद सं0 767/18 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलान्ट द्वारा भी जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर किया है विवादित बिन्दुओं का विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर के द्वारा किया जा रहा है–इसलिये अपीलान्ट अपनी अपील में कोई कार्यवाही नही चाहता है–अपील विड्रा करता हैं। हमने पत्रावली व प्रा0पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मन्न किया गया–अपीलान्ट प्रकरण को विड्रा करना चाहता है। वक़ील रेस्पोडेन्ट ने भी अपील को विड्रो करने में कोई आपत्ति नही की। अतः प्रार्थना पत्र अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अपील में इसी स्तर पर कार्यवाही बन्द की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया ।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2019.12.30 18:14:55
IST
Reason: SelfAttested